मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 5169 /NREGS-MP/NR-16 (हरियाली.)/10 भोपाल, दिनांक 20/05/10

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.
जिला– अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर।

विषय– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत नर्मदा नदी (अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर) के तट पर आने वाले ग्रामों के लिये वृक्षारोपण।

1. पृष्ठभूमि :–

प्रदेश के जनजीवन का नर्मदा नदी से पुरातन रिश्ता होने के साथ ही इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में गहरी आस्था भी है। नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। नर्मदा नदी के संरक्षण तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण नियंत्रण हेतु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ नियंत्रण मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपचार की आवश्यकता है। इसके लिए तटीय क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण, जल एवं मृदा का क्षरण रोकना आवश्यक है। यदि नर्मदा नदी के दोनों किनारों की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाये तो किनारों को भू–क्षरण से बचाया जा सकेगा और समीपस्थ क्षेत्रों के पर्यावरण में भी सुधार हो सकेगा। चूंकि नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार मध्यप्रदेश के 46 प्रतिशत जिलों तक है, इसलिये नर्मदा नदी के प्रति आस्था की कड़ी को वृक्षारोपणरूपी हरियाली चुनरी से जोड़ा जा सकता है।

2. उददेश्य :–

i) हरियाली चुनरी योजना का उददेश्य नर्मदा नदी के दोनों किनारों को वृक्षरूपी हरियाली चुनरी उपलब्ध कराना है, जिससे नर्मदा नदी के किनारों में भूमि का कटाव एवं उपजाऊ मिटटी को बहने से रोकने एवं जलाशयों में जाने वाली गाद की मात्रा को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। नर्मदा नदी के दोनों तट पर वृक्षारोपण तथा बफर पटटी का निर्माण कर कृषि भूमि से आने वाले हानिकारक रसायनों को नदी में आने से रोकने व जल की गुणवत्ता बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

ii) नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों में सामुदायिक, राजस्व भूमि, वन भूमि एवं निजी भूमि पर ग्राम पंचायतों, शासकीय विभाग व जन सहयोग के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य कराया जाएगा।

iii) यदि किसी भूमि स्वामी या कृषक के द्वारा स्वयं की भूमि पर या किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना है, तो उसकी सहमति के उपरांत ही वृक्षारोपण का कार्य कराया जा सकेगा। चूंकि वृहद् स्तर पर चिन्हांकित भू–खंड में वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा, जिसकी देखरेख करने वाले परिवार को **''चुनरी परिवार''** का नाम दिया जायेगा। चुनरी परिवार के सदस्य को वृक्षारोपण कार्य हेतु चिन्हांकित भू–खंड में रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य उन्हीं के प्रयत्न एवं परिश्रम द्वारा किया जायेगा, किन्तु किसी भी प्रकार से भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं होगा, और न ही (1) उस पर किसी प्रकार का

स्थाई निर्माण, मिटटी या मुरम खुदाई अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दोहन का कार्य कर सकेंगे। चुनरी बुनने से उत्पन्न वृक्षों व फलों पर उनका स्वामित्व नहीं रहेगा। इस कार्य को उन्हें अपनी स्वेच्छा एवं निःस्वार्थ भावना से करना चुनरी परिवार का कर्तव्य एवं दायित्व होगा। (2) निजी भूमि पर हरियाली चुनरी बुनने वाला कृषक अथवा भू–स्वामी इस नियम से मुक्त रहेगा। उसके द्वारा स्वेच्छा से बुनी गई हरियाली चुनरी के वृक्षों, पेड़–पौधों व उसके फलों पर उसी का स्वामित्व रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र :–

i) ''नर्मदा नदी के उत्तर व दक्षिण तट पर स्थित 16 जिलों के तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सम्मिलित ग्रामों में वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु चिन्हांकन किया जायेगा''।

ii) नर्मदा किनारे हरियाली चुनरी (वृक्षारोपण) के लिए चिन्हांकित भूमि का स्वामित्व वन विभाग, राजस्व विभाग तथा निजी भूमि स्वामियों के पास है। उपरोक्त तीनों प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण के लिये अलग–अलग रणनीति होगी। मैपकास्ट द्वारा चिन्हांकित 200 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चुनरी पर वाटर शेड की सीमाएं एवं कोड अंकित किये जायेगे। चुनरी का आबंटन संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. द्वारा संचालित नंदन फलोद्यान उपयोजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जावेगा।

4. क्रियान्वयन :–

i) सामुदायिक भूमि (Community Land) एवं राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत एवं शासकीय विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है।

ii) वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं लिंकेज का कार्य प्रारंभ से ग्राम पंचायत अथवा स्व–सहायता समूहों के माध्यम से कराया जायेगा, परन्तु ऐसे स्व–सहायता समूह प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण होने चाहिए।

iii) वन भूमि में वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए वन विभाग पृथक से दिशा–निर्देश जारी करेंगे। वन विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. से संयोजन (Convergence) के लिए प्रस्ताव तैयार कर शेल्फ–ऑफ–प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने संबंधित दिशा–निर्देश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की प्रचलित उपयोजना के अनुरूप होंगे।

5. क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन :– ग्राम पंचायत चुनरी परिवार के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय विभाग क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। वृक्षारोपण हेतु निम्न प्रकार की भूमि का चयन किया जायेगा–

1. **वन भूमि** – जिस भूमि पर वन विभाग का आधिपत्य हो। ऐसी वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिये वन विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा उपयोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
2. **शासकीय राजस्व भूमि –** ऐसी भूमि जो लोकोपयोगी से भिन्न होकर वन भूमि से पृथक है, ऐसी गैर वन पड़त भूमि (जो वनीकरण कार्य के लिए उपयोगी हो) के भू–खण्ड को चिन्हांकित कर वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा।
3. **निजी भूमि –** ऐसी राजस्व भूमि जो शासन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को किसी खास प्रयोजन हेतु आवंटित की गई हो, ऐसी भूमि के स्वामी स्वयं अथवा शासकीय योजनाओं के सहयोग से अपनी इच्छानुसार/सहमति से हरियाली चुनरी चढ़ाकर (वृक्षारोपण द्वारा) उसका संरक्षण कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। निजी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. द्वारा संचालित नंदन फलोद्यान उपयोजना से संबंधित दिशा–निर्देश कण्डिका 14 से 14.6 में दिया गया है।

6. आयोजना तैयार करना तथा स्वीकृतियां :– भूमि चयन, प्रजाति चयन तथा पौधों की आवश्यकता के आंकलन के पश्चात प्रस्तावित हरियाली चुनरी उपयोजना हेतु कार्य आयोजना तैयार की जायेगी, जिसमें पौधरोपण, सुरक्षा तथा अनुवर्ती वर्षों में रोपित पौधों के रखरखाव (Maintanance) के लिये भी प्रावधान किये जायेंगे। इस उपयोजना की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. द्वारा प्रचलित योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जायेगी।

7. प्राक्कलन :– जिला/जनपद स्तर पर कार्यरत तकनीकी अधिकारी जैसे उपयंत्री/सहायक यंत्री, सहायक संचालक कृषि/उद्यानिकी प्राक्कलन तैयार करे, जिसमें वर्षवार पौधे के विकास को क्रमबद्ध दर्शाया जायेगा। वृक्षारोपण के प्राक्कलन की अवधि 5 वर्ष रखी जावे ताकि तैयार पौधे चराई स्तर (Grazing level) पर ऊंचाई 5–6 फीट तक बढ़ सके। प्राक्कलन में चयनित भूमि, क्षेत्रफल, वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रजातियां, वृक्षारोपण पद्धति, सिंचाई तथा फलदार वृक्षारोपण करने हेतु विभिन्न अवयवों/मदों पर आने वाले व्यय की लागत का विवरण, पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग एवं 05 वर्षो तक पौधों की निदाई/गुड़ाई/सिंचाई/जैविक खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

8. भूमि एवं प्रजातियों का चयन :– वृक्षारोपण के स्थल का चयन करने के पूर्व वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त जलवायु, भूमि एवं रोपणी पौधों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये क्षेत्र का चयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन तथा उस जिले/क्षेत्र की जलवायु, मृदा की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये रोपित की जाने वाली मिश्रित प्रजातियों का चयन किया जाये। वृक्षारोपण के लिए उन्नत किस्म जैसे– बांस, आंवला, नीम, करंज, खमैर, आम, शीशु, जामुन इत्यादि प्रजातियों को प्राथमिकता के आधार पर रोपित किया जा सकता है, प्रजातियों के चयन का अधिकार ग्राम पंचायत का रहेगा, जिससे ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर (आजीविका) रोजगार/आय स्त्रोत निर्मित हो सकें। साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पौधों का निर्धारण की कार्यवाही Forest Research Centre/Institute Indore, Jabalpur एवं Bhopal के माध्यम से की जाये।

9. स्थानीय स्तर पर पौध रोपणी तैयार करना :– स्थानीय स्तर पर पौध रोपणी तैयार कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिनमें प्रजातिवार उस क्षेत्र की भूमि एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुये मांग के अनुसार छायादार एवं फलदार पौधे तैयार किये जायेंगे जिसमें स्वसहायता समूह के सदस्यों को कार्य मिलेगा तथा जॉबकार्ड धारी मजदूरों को इस कार्य में लगाकर रोजगार दिया जायेगा। इससे पौधों पर होने वाले परिवहन व्यय को कम किया जा सकता है तथा पौधों को मृत होने से बचाया जा सकेगा।

10. पौधरोपण रख रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था :– पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुरक्षा जैसे कटीली झाडियां, सी.पी.टी., सी.पी.डब्ल्यू तथा सोशल फेंसिग के माध्यम से पौधों की सुरक्षा की जायेगी। किसी भी प्रकार की तार, पक्की दीवार या अन्य फेंसिंग प्रतिबंधित होगी। जॉबकार्डधारी अकुशल मजदूर को कार्य मिले इस उद्देश्य से निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई, देखरेख एवं सुरक्षा संबंधी कार्य इन्हीं मजदूरों के माध्यम से कराये जायें। पौधारोपण, पौधों की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव का कार्य 'चुनरी परिवार' के माध्यम से कराया जाना अतिउत्तम होगा।

11. जलस्त्रोत की पहचान एवं सिंचाई की सुविधा :– रोपण के चयन के समय ही जल स्रोतों की पहचान एवं सिंचाई सुविधा की उपलब्धता की जानकारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उपलब्धता के आधार पर पौधों में माह नवम्बर में एक सिंचाई और इसके उपरांत माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एवं जून में पानी की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार पौधों की सिंचाई किया जाना आवश्यक है। सिंचाई का अंतराल माह नवम्बर एवं फरवरी मार्च में 15 दिन तथा अप्रेल, मई एवं जून में प्रति सप्ताह सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

12. निगरानी तथा अभिलेख संधारण/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :– हरियाली चुनरी उपयोजना के वृक्षारोपण के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण और अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. द्वारा प्रचलित योजनाओं के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

13. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :– उपयोजना के सफल क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन का कार्य जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा –

जिला स्तर –

1. अध्यक्ष –कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी।
2. सचिव – मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला पंचायत
3. सदस्य– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार, वनमण्डलाधिकारी एवं चुनरी परिवार का नामित परिवार व जिला समन्वयक, जन अभियान परिषद् एवं निर्धारित स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि

जनपद (ब्लाक) स्तर –

1. अध्यक्ष – अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
2. सचिव – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
3. सदस्य – तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक एवं चुनरी परिवार का नामित परिवार, ग्राम का सरपंच, सचिव व विकासखण्ड समन्वयक, जन अभियान परिषद् एवं निर्धारित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि

जनपद स्तर पर गठित समिति के अधिकारी/नामित सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों का सर्वे कराना, प्राक्कलन तैयार कराना, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जारी कराना एवं किये गये कार्यो का निष्पादन/समीक्षा इत्यादि का कार्य संपादित करेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में फलोद्यान के कार्यो की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी कम से कम 20% कार्यो की गुणवत्ता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

''हरियाली चुनरी'' उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी हेतु संभागीय स्तर पर त्रि–मासिक बैठक आयोजित की जावेगी एवं रिपोर्टिंग माह के अंत तक की एकजाई जानकारी (Cummulative Progress) जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतवार संकलित कर आगामी माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

14. चुनरी परिवार के निरस्तीकरण की प्रक्रिया :–

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, या उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा चयनित हरियाली चुनरी परिवार को उपयोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जैसे–चुनरी बुनना (वृक्षारोपण), निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई, पौध सुरक्षा, रखरखाव, इत्यादि कार्य न करने के साथ–साथ अन्य कार्य करने जैसे– विदोहन, भूमि खुदाई, किसी भी प्रकार का दुरूपयोग करना इत्यादि पाये जाने पर उन्हें ''चुनरी परिवार'' से पृथक किया जा सकता है।

निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु चयनित हितग्राहियों को नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा। नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

14 नंदन फलोद्यान उपयोजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण)

14.1 पात्र हितग्राही :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निम्नानुसार वर्ग के हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने का प्रावधान किया गया है:

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2. गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार (Land reform) के हितग्राही
4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही
5. लघु कृषक एवं सीमांत कृषक

फलोद्यान उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु ऐसे हितग्राही परिवार पात्र होंगे, जो निम्न मानदण्ड की पूर्ति करते हैं –

''जिनके स्वामित्व वाली भूमि (कृषि भूमि एवं उत्पादन योग्य पड़त भूमि) की जोत ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग–अलग जगहों पर परिवार के मुखिया के नाम पर या संयुक्त खाते के रूप में कम से कम 2 हेक्टेयर हो। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार उपलब्ध नहीं हो तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1 हेक्टेयर तक की सीमा तक की जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवारों पात्र हो सकेंगे।'

14.2 प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता :–''हरियाली चुनरी'' उपयोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि के चयनित हितग्राहियों (नंदन फलोद्यान/स्वसहायता समूह को वृक्षारोपण कार्य किये जाने व रख रखाव संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) द्वारा उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/वन विभाग/योजना समन्वयक/स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से किया जायेगा। हितग्राहियों को गतिविधि आरंभ होने पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता सहयोग दल द्वारा उपलब्ध कराई जाये।

14.3 सहयोग दलों की नियुक्ति :– उद्यानिकी प्रजाति के सफल वृक्षारोपण के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे प्रजाति का चयन, क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, भूमि की गुणवत्ता इत्यादि की उपयुक्तता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न घटकों के परीक्षण और ग्राम पंचायतों व हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक 5 से 10 ग्राम पंचायतों के समूह हेतु एक–एक सहयोग दल की नियुक्ति की जायेगी। प्रत्येक सहयोग दल में उद्यानिकी विभाग अथवा कृषि विभाग के एक सक्षम तकनीकी अधिकारी (जैसे ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान अधीक्षक इत्यादि), एक उपयंत्री तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को शामिल किया जायेगा। उद्यानिकी विभाग अथवां कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी सहयोग दल के ''दल प्रमुख'' होंगे। यह दल योग्य सुझाव व मार्गदर्शन देगा। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार ऐसे सहयोग दलों का गठन कर पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रतिलिपि सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।

14.4 हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई क्षमता का आकलन :– सहयोग दल हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोतों का विश्लेषण इस आधार पर करेंगे कि ''नंदन फलोद्यान'' लगाये जाने पर क्या इस स्त्रोत से लगाये गये पौधों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं। यदि हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो तदाशय की जानकारी सहयोग दल अपने संज्ञान में लेंगे, ताकि ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाने वाली अनुशंसा में इसका उल्लेख किया जा सके और इस अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित हितग्राही/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल को कपिल धारा उपयोजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने के उपरांत इन हितग्राही/हितग्राही समूह के लिए ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना का क्रियान्वयन कर सके।

14.5 सुरक्षा हेतु प्रावधान :– स्थानीय तौर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियां अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सी.पी.टी./सी.पी.डब्ल्यू./सोशल फेंसिंग इत्यादि से रोपित पौधों की सुरक्षा की जाये। यह कार्य वर्षा ऋतु के आने से पूर्व संपन्न कराना ठीक रहेगा।

14.5 पौधरोपण :– सफल फलोद्यान विकास हेतु यह आवश्यक है कि पौधरोपण का कार्य वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पहली अच्छी बारिश के तत्काल बाद आरंभ कर दिया जाये। पौधरोपण का कार्य वर्ष भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पौधरोपण कार्य सामान्यतः 15 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

14.6 प्राक्कलन (डी.पी.आर.) से संबंधित अन्य सुझाव :–

i) पौधों की निदाई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का कार्य चुनरी परिवार स्वयं करे अथवा जॉबकार्डधारी चयनित हितग्राहियों द्वारा ही कराया जावे ताकि उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।

ii) गतवर्षो में रोपित पौधों की उत्तरजीविता का मूल्यांकन करने के पश्चात ही प्राक्कलन अनुसार जैविक खाद, गोबर खाद, आदि दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में गोबर की खाद हितग्राही द्वारा दी जावेगी तथा ग्राम पंचायत द्वारा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में पौधों की उत्तरजीविता को ध्यान में रखकर ही खाद, उर्वरक के क्रय की कार्यवाही की जावे।

iii) किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद अथवा कीटनाशक का उपयोग हरियाली चुनरी में प्रतिबंधित रहेगा।

iv) फलोद्यान उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वर्तमान/आगामी वर्षों की तैयारी हेतु एक समयबद्ध–कार्ययोजना (Milestone) तैयार कर यथा–चयनित हितग्राहियों का प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, पौधों की सुरक्षा व्यवस्था, गड्ढों को खोदना, गड्ढों को भरना, सिंचाई व्यवस्था की सुनिश्चितता एवं माहवार गतिविधियों को चिन्हांकित कर एक कैलेण्डर बनाया जावे तथा उस पर अमल किया जाये।

v) पौधे तैयारी का कार्य प्रत्येक जिले के उद्यान विभाग से संपर्क कर प्रशिक्षित बडर (कांट्रेक्ट पर) की मदद से जिला पंचायत के प्रभार की नर्सरियों से पौधे तैयार करायें जाये।

संलग्न– अनुलग्नक–3

(1) क्षेत्र तैयारी एवं रोपण
(2) कार्य पूर्णता प्रतिवेदन
(3) हितग्राही का प्रस्ताव

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र क्रमांक–1

प्रतिवेदन

1. रोपण का नाम .....
2. ग्राम पंचायत का नाम .....
3. रोपण प्रभारी का नाम .....
4. क्षेत्रफल .....
5. रोपित प्रजातियां प्रजाति.....पौधों की संख्या.....

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी एवं रोपण

क्र.	कार्य का विवरण	प्रावधानित राशि (रूपये में) (इकाई प्रति हेक्टेयर)	
1	सर्वे सीमांकन एवं मानचित्र		
2	क्षेत्र सफाई		
3	स्टेकिंग		
4	गडढा खुदाई प्रति हेक्टेयर		
5	खाद/कीटनाशक इत्यादि		
6	रोपण का कार्य		
7	प्रथम निंदाई		
8	मृत पौधों को बदलना		
9	द्वितीय निंदाई		
10	तृतीय निंदाई एवं गुढ़ाई इत्यादि		

कार्य पूर्ण प्रतिवेदन

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम का नाम .....
3. वृक्षारोपण का प्रकार एवं क्षेत्रफल (हेक्टेयर) ..... (वनभूमि/पंचायत भूमि/पड़त भूमि/छोटे बड़े झाड़ क्षेत्र)
4. क्रियान्वयन एजेंसी का नाम .....
5. वृक्षारोपण प्रभारी .....
6. कार्य प्रारंभ का दिनांक .....
7. कार्य पूर्णता का दिनांक .....
8. कुल व्यय राशि .....
9. रोपित पौधों की संख्या (प्रजातिवार) .....
10. जीवित पौघों की संख्या (प्रजातिवार) .....
11. सत्यापित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम .....

कार्य का विवरण

प्रथम वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	मात्रा	कार्यावधि	राशि

द्वितीय वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	मात्रा	कार्यावधि	राशि

तृतीय वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	मात्रा	कार्यावधि	राशि

चतुर्थ वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	मात्रा	कार्यावधि	राशि

पंचम वर्ष

क्र0	कार्य का नाम	मात्रा	कार्यावधि	राशि

अनुलग्नक–1

''हरियाली चुनरी एवं नर्मदा परिक्रमा पथ" उपयोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषय– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत ''हरियाली चुनरी उपयोजना'' हेतु प्रस्ताव।

मैं हरियाली चुनरी उपयोजना के अंतर्गत अपनी सामुदायिक/निजी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग–1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. हितग्राही का नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. ग्राम :.....
4. धारित कुल भूमि का रकबा :.....हेक्टेयर
5. प्रस्तावित भूमि का रकबा जिस पर वृक्षारोपण कार्य विकसित किया जायेगा :.....हेक्टेयर
6. खसरा नंबर :.....जिसमें उक्त वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या
   .....
   .....
   .....
8. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत.....

हितग्राही के हस्ताक्षर
व नाम